

कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु लोक सभा सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना की मुख्य विशेषताएं

- (एक) कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु सदस्य की वित्तीय हकदारी 13.01.2015 से 3,00,000 रुपये है ।
- (दो) सदस्य अपनी 3,00,000 रुपये की वित्तीय सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित कम्प्यूटर उपकरण की किसी भी मिक्स की एक से अधिक यूनिट खरीदने हेतु स्वतंत्र है:-
1. डेस्कटॉप (एचपी, डेल, ऐस्सर, विप्रो, लिनोवा, एप्पल, सोनी, सैमसंग, पीसीएस लि0.
 2. लैपटॉप (कोई भी ब्रांड)
 3. पेन ड्राइव
 4. सीडी/डीवीडी (अधिकतम एक सौ)
 5. प्रिंटर (डेस्कटॉप/लेजरजेट/मल्टीफंक्शनल/पोर्टेबल) (कोई भी ब्रांड)
 6. स्कैनर (कोई भी ब्रांड)
 7. यूपीएस (केवल डेस्कटॉप के साथ)
 8. हैंडहेल्ड कम्प्यूनीकेटर/पामटॉप कम्प्यूटर/स्मार्ट फोन (कोई भी ब्रांड)
 9. डाटा इंटरनेट कार्ड
 10. एमएस ऑफिस
 11. एंटी वायरस सॉफ्टवेयर
 12. लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर
 13. कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सामग्री
 14. ई-रीडर (आई ओ एस अथवा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस अथवा ई रीडर डिवाइसों की सुविधाओं वाले डिवाइस)
- (तीन) सदस्य ऊपर उद्धृत मदें खरीद सकते हैं और विक्रेता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और मूहर लगे बिल जमा करा सकते हैं । बिल में कम्प्यूटर उपकरण का क्रम सं./आईएमईआई संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए ।
- (चार) सदस्य विक्रेता की कोटेशन और ई-भुगतान प्रयोजन के लिए रद्द बैंक के साथ विक्रेता द्वारा विधिवत रूप से भरा हुआ सहमति पत्र (प्रति संलग्न) भी जमा कराएंगा । अग्रिम राशि विक्रेता को ई-भुगतान के माध्यम से जारी की जाएगी । सदस्य मदों की सुपुर्दगी ले सकते हैं और विक्रेता को अग्रिम राशि जारी होने के 30 दिनों के भीतर बिल जमा करा सकते हैं ।
- (पांच) बिल/प्रोफार्मा बीजक सदस्य पूछताछ बूथ, जी-127 संसद ग्रंथालय भवन में जमा करा सकते हैं ।
- (छह) लोक सभा सदस्यों की वित्तीय हकदारी की योजना का ब्यौरा लोक सभा वेबसाइट <http://loksabha.nic.in> पर " सदस्य " शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

किसी भी पूछताछ के मामले में कृपया संपर्क करें - जी-127, पीएलबी (23035055 / 23794886)

